न्यायालय उप जिलाधिकारी बरहज देवरिया

[illegible]

[illegible] धारा 80(1)[illegible] 2016

ग्राम [illegible] मौजा बटया फुलवरिया आ0 नं0

[illegible] तहसील बरहज जिला देवरिया।

आदेश

[illegible] सेनानी आमुर त्रिपाठी ज्ञान पीठ बटया फुलवरिया, ठाकुर देवरिया द्वारा सम्बद्ध गुरूकुल ज्ञान ट्रस्ट की ओर से धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कहा गया है कि मौजा बटया फुलवरिया स्थित आ0सं0 61 रकबा 0.300हे0 भूमि पर स्कूल जो निर्माणाधीन है। उक्त [illegible] के बाबत् तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाकर अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिस पर तहसीलदार बरहज की आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बरहज की आख्या दिनांक 13.12.16 जो लेखपाल की आख्या दिनांक 12.12.16 व रा0नि0 की आख्या दिनांक 13.12.16 के आधार पर अकृषिक घोषित करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम बटया फुलवरिया स्थित आ0सं0 61 रकबा 0.300 हे0 भूमि पर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आमुर त्रिपाठी ज्ञान पीठ बटया फुलवरिया, ठाकुर देवरिया द्वारा सम्बद्ध गुरूकुल ज्ञान ट्रस्ट नि0ग्राम बटया फुलवरिया द्वारा स्कूल निर्मित कर व्यवसायिक रूप में प्रयुक्त हो रहा है। उक्त भूमि पर कोई कृषिजनित कार्य (जैसे पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन कुक्कुट पालन आदि) नहीं होता है। आ0सं0 61 रकबा 0.300हे0 भूमि को अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार के पक्ष में अकृषिक भूमि दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मैंने वादी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बरहज की आख्या का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि आ0सं0 आ0सं0 61 रकबा 0.300हे0 भूमि पर स्कूल निर्मित कर व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त हो रहा है। राजस्व संहिता 2016 की धारा 80(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि की नवेयत परिवर्तन करने (आवासीय छोड़कर) अन्य प्रयोजन में किये जाने पर निर्धारित सर्किल रेट से कुल मालियत का एक प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने का प्राविधान है।

उक्त तहसीलदार बरहज की आख्या दिनांक 13.12.16 को स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया जाता है कि ग्राम बटया फुलवरिया स्थित आ0सं0 61 रकबा 0.300हे0भूमि को राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार के पक्ष में अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। निर्धारित सर्किल रेट के आगणन के अनुसार जो तहसीलदार बरहज द्वारा किया गया है, कुल मालियत रु0 2740800/रू0 है, जिसका एक प्रतिशत रू0 27408/रू0 निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बाद आ0का0 पत्रावली दा0दफ्तर हो।

प्रतिलिपि छायाप्रति
तुलनात्मक लिखित

1399
12-6-17
[illegible]
850
13-6-17

(अरूण कुमार सिंह) 27/5/17
उप जिलाधिकारी
बरहज